न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –03 / 2024

1. संतोष बाई पुत्री लालचन्द जाति, कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी हाल जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. धन्नी बाई पुत्री लालचन्द जाति, कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी हाल जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भूली बाई पुत्री लालचन्द जाति, कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी हाल जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. राजूबाई पुत्री लालचन्द जाति, कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी हाल जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. सीमा बाई पुत्री लालचन्द जाति, कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी हाल जावरा खुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................अपीलाण्टगण

बनाम

1. श्रीमान् सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. कैलाश पुत्र काशीराम, जाति कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जावराखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. कविता पुत्री गोपाल, जाति कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जावराखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. धापू बाई पत्नी स्व. काशीराम, जाति कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जावराखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. प्रहलाद पुत्र गोपाल, जाति कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जावराखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. रामभरोस पुत्र गोपाल, जाति कुम्हार, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जावराखुर्द, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

.................रेस्पोडेण्टसगण

अपील इन्तकाल इंतकाल संख्या 364 दिनांक 9 / 11 / 2022 ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाड़ोलिया.

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री भूपेन्द्र पुरोहित।
अप्रार्थीः– 01 से 06 एकतरफा व 07 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक – 19.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:12:40 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेंटस के विरूद्ध इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम जावराखुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 151 का खसरा संख्या 148 रकबा 0.33 हैक्टेयर खातेदार लालचन्द, कैलाशचन्द पिता काशीराम हिस्सा 2 / 3 प्रहलाद, रामभरोस, कविता पिता गोपाल 1 / 3 दर्ज रिकॉर्ड है तथा जमाबंदी 2072–75 भी इसी अनुरूप है तथा उक्त आराजी पैतृक है सजरा निम्न प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

काशीराम (फौत)

लालचन्द (फौत) | कैलाशचन्द | गोपाल (फौत)

अपीलांट के पिता लालचन्द की मृत्यु दिनांक 12.07.2019 को हो गई थी तथा गोपाल की भी मृत्यू हो चुकी है हमारे पिता के जीवनकाल में ही हमारी माता कन्याबाई की मृत्यु 11.12.2015 को हो गई थी अपीलांट के पिता की मृत्यु 12.07.2019 के पश्चात उनकी विरासत का इंतकाल ग्राम पंचायत बाड़ोलिया द्वारा तस्दीक हुआ तथा इंतकाल निम्न के नाम खोला गया।

1. संतोष बाई (पुत्री), 2. धन्नी बाई (पुत्री) 3. राजूबाई (पुत्री) 4. भूलीबाई (पुत्री) 5. सीमा बाई (पुत्री) 6. धापूबाई (माता)

ग्राम पंचायत बाड़ोलिया द्वारा अपीलांट के पिता की विरासत का इंतकाल अपीलांट की दादी धापूबाई रेस्पोडेंट संख्या 04 के नाम खोला दिया गया है जबकि अपीलांट के पिता लालचंद का विरासत का इंतकाल केवल अपीलांट के पक्ष में ही खोला जाना था। ग्राम पंचायत बाड़ोलिया द्वारा गलत इंतकाल तस्दीक किया गया इसलिए इंतकाल संख्या 364 दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध अपील पेश किया जाना आवश्यक है। दिनांक 14.07.2024 को किसान सम्मान निधि के आवेदन के लिए जमाबंदी निकलवाई गई तब उक्त खोले गये इंतकाल की जानकारी हुई तब अविलंब अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा अपील में कोई देरी हुई हो तो दफा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील के साथ संलग्न है। श्रीमान् से निवेदन है कि इंतकाल की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 364 ग्राम पंचायत व पटवार हल्का बाड़ोलिया खारिज किया जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार साहब रावतभाटा को नियमानुसार इंतकाल खोले जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 06 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

रस्पोडेण्टस संख्या 07 तहसीलदार रावतभाटा द्वारा न्यायालय उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर पेरोकार सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया की खाता संख्या 131 [illegible] संख्या 148 रकबा 0.33 हैक्टेयर खातेदार लालचन्द, कैलाशचन्द पिता काशीराम, [illegible] 2/3 प्रहलाद, रामभरोस, कविता पिता गोपाल [illegible] जमाबंदी 2072–75 भी इसी अनुरूप है। अपीलांट के [illegible] दिनांक 12.07.2019 को हो गई थी तथा अपीलाण्ट की मृत्यु के पश्चात उ[illegible] विरासत का इंतकाल ग्राम पंचायत बाडोलिया द्वारा तस्दीक किया हुआ है, उक्त इंतकाल में हम पांचों अपीलाण्टगण मृतक की पुत्रियों के साथ–साथ मृतक की माता धापू बाई के नाम भी इंतकाल खोला गया जो गलत है। जबकि अपीलाण्ट के पिता लालचन्द का विरासत का इंतकाल केवल अपीलाण्ट के पक्ष में ही खोला जाना था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriy
Date: 2024.11.27 17:12:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खसरा संख्या 148 में अपीलाण्टगण के साथ साथ अपीलाण्ट के पिता के भाई गोपाल जो फौत हो गए के वारिसान व कैलाशचन्द दूसरा भाई का नाम दर्ज है किन्तु धापू बाई का नाम अपीलाण्ट के पिता की माता का नाम भी दर्ज रिकार्ड है,नामान्तरण संख्या 364 की प्रति सलंग्न है जिसमें लालचन्द पुत्र काशीराम (फौत) का सजरा तैयार किया गया सजरे अनुसार मृतक लालचन्द की माता को भी वारिसान अनुसार सजरे में बताया है, तो इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि पुनः नये सिरे से मृतक लालचन्द के विधिक वारिसान की जांच करने पर नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया की नामान्तरण संख्या 364 दिनांक 09.11.2022 को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मृतक लालचन्द के विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा का भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गंगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला–चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.27 17:12:40 IST
Reason: SelfAttested